

23/02
26

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।
तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बाली की
जांच रिपोर्ट अनुसार:-

1. मौजा दुदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 46/1 रकबा 0.1668 हैक्टर किस्म बा.सो. प्रार्थी श्री उमाराम पुत्र भलाराम देवासी की खातेदारी भूमि है।
2. उक्त भूमि पूर्व में खसरा न. 46/1 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बा.सो. सोहन कुवंर पत्नि उम्मेदसिंह जाति राव साठ बाली की खातेदारी भूमि थी।
3. जरिये एम. न. 697 दिनांक 15.12.2010 के अनुसार 46/1 रकबा 1.60 हैक्ट मे से 46/10 रकबा 1.4332 हैक्ट भुमि रेलवे के नाम दर्ज कि गई तथा शेष रकबा 0.166 हैक्टर भुमि प्रार्थी की यथावत खातेदारी रही।
4. चूकि प्रार्थी की शेष रही भुमि वर्तमान में रोड के पास स्थित है, जबकि राजस्व मैप(ऑनलाईन मैप के अनुसार रेलवे विभाग के ट्रेक पर स्थित (दर्शाई) गई है।
5. अतः उपरोक्तानुसार अशुद्ध तरमीम "ए" को शुद्ध(सही) तरमीम "बी" किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थी ने अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम दुदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 46/1 रकबा 0.1668 हैक्टर की ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि का निवेदन किया है। जिस तथ्य को पटवारी हल्का दूदनी व तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की है। जिस अनुशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारित खातेदारी भूमि के रकबे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। मात्र ऑनलाईन नक्शे में जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज तथा मौका स्थिति के अनुरूप नक्शे में इन्द्राज नहीं होने से उक्त दुरस्ती चाही है। जिस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नक्शे में शुद्धि के आदेश दिया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये ग्राम दुदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 46/1 रकबा 0.1668 हैक्टर की नक्शे में दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का दूदनी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। उक्त आदेश से मूल रकबा अप्रभावित रहेगा। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हों।



[Handwritten Signature]
सहायक तहसीलदार एवं पटवारी
खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

